[2021] 11 एस. सी. आर 836

कोरकोंडा चलपति राव और अन्य

बनाम

कोरकोंडा अन्नपुर्ना सम्पत कुमार

(सिविल अपील सं. 6141 2021 का)

1 अक्टूबर, 2021

[के. एम. जोसेफ और एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

पंजीकरण अधिनियम, 1908-एस. 17 (1) (ख), 49-विभाजन -परिवार

निपटान, यदि आवश्यक हो तो पंजीकरण-प्रतिवादी द्वारा अभियोग अनुसूची संपत्ति पर अधिकार की घोषणा और अपीलकर्ताओं को बेदखल करने के लिए दायर किया गया मुकदमा-अपीलकर्ताओं ने साक्षय हलफनामा दायर किया और खारुरूनामा को चिह्नित करने की मांग की-पारिवारिक समझौता और एक रसीद, जिसे निचली अदालत द्वारा अनुमति दी गई थी-उच्च न्यायालय ने कहा कि दस्तावेजों में कहा गया है कि अपंजीकृत और अपंजीकृत साक्षय में अस्वीकार्य थे -

अपील की गई: दस्तावेज़ में उपयोग किए गए शब्द कथित रूप से उन व्यवस्थाओं को संदर्भित करते हैं जो पार्टियों ने अतीत में की थीं-यह अपने आप में संपत्तियों में अधिकार बनाने, घोषित करने, सौंपने, बुझाने या सीमित करने के लिए अभिप्रेत नहीं है और इस प्रकार, खरारुनामा एस को आकर्षित नहीं कर सकता है। 49 (1) (क)-यदि खारारुनामा अपने आप में, अचल संपत्ति को प्रभावित नहीं करता है, जो कथित पिछले लेनदेन का रिकॉर्ड है, हालांकि

अचल संपत्ति के संबंध में, एस का कोई उल्लंघन नहीं होगा। 49 (1) (ग), क्योंकि इसका उपयोग ऐसी संपत्ति को प्रभावित करने वाले लेनदेन के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा रहा है-साक्षय में दिया जाना इससे अलग है लेन-देन के साक्षय के रूप में उपयोग किया जा रहा है, खरारुनामा और रसीद के साक्षय में केवल स्वीकार करने से विचाराधीन अचल संपत्तियों पर कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ेगा-इसके अलावा, खरारुनामा की प्रकृति को देखते हुए, कथित लेनदेन का रिकॉर्ड होने के कारण, इस पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है-विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया है-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.13, rr। 3 , 4 – कार्य और दस्तावेज।

पंजीकरण अधिनियम, 1908-एस. 49 , इसके तहत अपवाद

चर्चा की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 धारा 49 गैर के प्रभाव से संबंधित है

पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 और संपत्ति हस्तांतरण के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत दस्तावेजों का पंजीकरण

836 कोरकोंडा चलपति राव बनाम। कोरकोंडनपुर्ना सम्पत कुमार

एक्ट करें। पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 (ए) घोषणा करती है कि एक अपंजीकृत दस्तावेज जो अनिवार्य रूप से पंजीकृत है, उसमें शामिल किसी भी अचल संपत्ति को 'प्रभावित' नहीं कर सकता है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 (सी) अनिवार्य रूप से प्रवेश को प्रतिबंधित करती है।

इस मामले में, केवल उनमें से एक के साथ संबंधित है और जो परंतुक के अंतिम अंग में निहित है। अपंजीकृत दस्तावेज़ का उपयोग किसी भी संपार्श्विक लेनदेन के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। हालाँकि यह इस शर्त के अधीन है कि उक्त संपार्श्विक लेन-देन स्वयं ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा किया जाना चाहिए। संपार्श्विक क्या होगा

लेन-देन? यदि यह संपार्श्विक लेन-देन था, तो एक अपंजीकृत दस्तावेज़ का उपयोग वास्तव में इसे साबित करने के लिए सबूत के रूप में किया जा सकता है। क्या अपंजीकृत दस्तावेज़ के आधार पर कब्जे का आनंद लिया जा रहा है या कब्जे की प्रकृति, एक लेनदेन होगा और आगे यह एक संपार्श्विक लेनदेन होगा? यह सवाल उठाया जाता है

जैसा कि अपीलार्थियों का तर्क है कि भले ही खाररुनामा दिनांकित 15.4.1986 का उपयोग अतीत में हुए अधिकार के त्याग के तथ्य को साबित करने के लिए सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता है, खाररुनामा को पक्षों के आचरण और कब्जे की प्रकृति को साबित करने के लिए देखा जा सकता है जो पक्षों द्वारा प्राप्त किया गया था। कानून ऐसा नहीं है कि हर मामले में जहां एक पक्ष याचिका दायर करता है कि अदालत एक अपंजीकृत मामले पर गौर कर सकती है। कब्जे की प्रकृति को दिखाने के लिए दस्तावेज कि अदालत इसके लिए सहमत होगी। मुख्य सिद्धांत यह होगा कि क्या पक्ष के मामले को एक अपंजीकृत दस्तावेज़ पर विचार करने की अनुमति देने से इसके परिणामस्वरूप जनादेश का उल्लंघन होगा।

पंजीकरण अधिनियम की धारा 49। [पारस 24-26,29] [851-B-C, E-F; 852-B-E; 853-G-H; 854-A] 1.2 यदि यह न्यायालय इस परीक्षण को लागू करता है कि क्या इस मामले में खरारूनामा स्वयं 'प्रभावित' करता है, अर्थात, स्वयं ही विचाराधीन अचल संपत्तियों में अधिकारों का निर्माण, घोषणा, सीमा या उन्मूलन करता है या

क्या यह केवल उस बात को संदर्भित करता है जो अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि पिछले लेनदेन थे जो पक्षों द्वारा किए गए थे, तो,

दस्तावेज़ में उपयोग किए गए शब्दों को देखते हुए, वे संकेत देते हैं कि इन शब्दों का उद्देश्य कथित रूप से [2021] 11 एस. सी. आर. की व्यवस्थाओं को संदर्भित करना है।

जो पार्टियों ने अतीत में किया था। दस्तावेज़ का उद्देश्य स्वयं संपत्तियों में अधिकार बनाना, घोषित करना, निर्दिष्ट करना, समाप्त करना या सीमित करना नहीं है। इस प्रकार, खरारुनामा पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 (1) (ए) को आकर्षित नहीं कर सकता है। [पैरा 33] [857-ई-जी]

2.3 जहां तक पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 (1) (सी) का संबंध है, यह अनिवार्य रूप से एक अन्य परिणाम का प्रावधान करता है।

पंजीकृत दस्तावेज इस तरह से पंजीकृत नहीं है। अर्थात्, इसके तहत धारा 49 (1) (ए), एक अनिवार्य रूप से पंजीकृत दस्तावेज, जो पंजीकृत नहीं है, इन अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है।

लेन-देन। अर्थात्, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, केवल कथित पिछले लेन-देन के रिकॉर्ड वाले खरारुनामा को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यदि उन पिछले लेन-देनों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता है, तो खरारुनामा और रसीद के साक्षय में केवल प्रवेश से कोई निष्कर्ष निकलता है। विचाराधीन अचल संपत्तियों पर कानूनी प्रभाव। जहाँ तक स्टाम्प शुल्क की बात है, इसकी प्रकृति के बारे में निष्कर्ष पर

दस्तावेज़, अर्थात। , खरारुनामा, कथित लेन-देन का रिकॉर्ड होने के कारण, इस पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। जब कोई विभाजन हुआ है, तो हो सकता है कि पूर्ववर्ती अधिकार की अवधारणा को लागू करने की कोई गुंजाइश न हो, जो संयुक्त परिवार की स्थिति में व्यवधान के बाद अनुचित है और इससे भी अधिक पूर्ण विभाजन है। अपीलार्थी और

उत्तरदाताओं ने, निश्चित रूप से, अपनी संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों का विभाजन किया। यह खारारुनामा से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने संयुक्त परिवार की संपत्तियों को विभाजित किया है।

गुण, जो कोरकोंडा चलपति राव बनाम। कोरकोंडा अन्नापुर सम्पत कुमार

खारारुनामा में उल्लेख किया गया, सेपा बन गया प्रत्यर्थी की संपत्तियाँ। विवादित फैसला

एक तरफ। [पारस 34-36] [857-G-H; 858-A-E, G-H; 859-A-B]

5 एस. सी. आर. 924; तुलसीधारा बनाम। नारायणप्पा (2019) 6 एससीसी

409 [2019] 8 एस. सी. आर. 212; काले बनाम डी. निदेशक

ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 807 [1976] 3 एस. सी. आर. 202;

कृपाल कौर बनाम। बचन सिंह और ओआरएस। ए. आई. आर. 1958 एससी

199 : [1958] एस. सी. आर. 950; राम चरण बनाम गिरजा नंदिनी एयर

1966 एससी 292; कृष्ण बिहारीलाल बनाम। गुलाबचंद एयर

1971 एससी 1041: [1971] पूरक। एस. सी. आर. 27; येल्लापु उमा

माहेश्वरी और एक अन्य वी। बुद्ध जगदीश्वराव

और अन्य (2015) 16 एससीसी 787; सीता राम भामा बनाम।

रामावतार भामा (2018) 15 एस. सी. सी. 130: [2018] 10 एससीआर

503 ; रोशन सिंह और अन्य बनाम। जिल सिंह और अन्य

ए. आई. आर 1988 एस. सी. 881: [1988] 2 एससीआर 1106; एस. एम. एस. चाय संपदा (पी) लिमिटेड v. चांदमारी टी कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड (2011)

14 एससीसी 66: [2011] 9 एस. सी. आर. 382-संदर्भित।

मुरुगा मुदल्लर और ओआरएस। वी. सुब्बा रेड्डियार एयर 1951

मद्रास 12; के. पंचपागेसा अय्यर और अन्य। वी. के.

कल्याणसुंदरम अय्यर और अन्य आकाशवाणी 1957 मद्रास

472 ; ए. एम. चक्रपाणि रेड्डी और अन्य आकाशवाणी 2001

मद्रास 135-संदर्भित।

एन. वरदा पिल्लई बनाम जीवरत्नम्मल ए. आई. आर. 1919 पी. सी.

44 – संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

2016] 5 एससीआर 924

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

2019] 8 एससीआर 212

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

1976] 3 एससीआर 202

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

1971] पूरक। एससीआर 27

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

2018] 10 एससीआर 503

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

1958] एससीआर 950

पैरा 28

संदर्भित किया गया है

1988] 2 एससीआर 1106

पैरा 31

संदर्भित किया गया है

2011] 9 एससीआर 382

पैरा 32

एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 6141

तेलंगाना राज्य और तेलंगाना राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.04.2016 से 2015 के सी. आर. पी. No.373 में आंध्र प्रदेश।

एम. विजय भास्कर, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

के. सीता रामा राव, विजय बाबू, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है जिसके द्वारा बाद के आदेश में निचली अदालत ने प्रदर्शनी-बी12 और बी13 के अंकन पर प्रतिवादी की आपत्तियों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे ऐसे दस्तावेज थे जो अपंजीकृत और बिना मुहर वाले थे और मामले को उक्त दस्तावेज को चिह्नित करने के लिए डीडब्ल्यू1 के साक्षय के लिए रखा गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि वे दस्तावेज जो अपंजीकृत पारिवारिक निपटान "खरारुनामा" और रुपये की रसीद थे। 2,00,000 / - (प्रतिवादी द्वारा दो लाख रुपये), साक्षय में स्वीकार्य नहीं थे।

3. प्रत्यर्थी अपीलार्थियों का छोटा भाई है। प्रत्यर्थी ने वर्तमान मुकदमा (2001 का ओ. एस. No.39) दायर किया।

अभियोग अनुसूची संपत्ति पर अधिकार की घोषणा और अपीलकर्ताओं को बेदखल करने के लिए जो प्रतिवादी हैं और अपीलकर्ताओं के खिलाफ परिणामी स्थायी निषेधाज्ञा भी मांगी गई है। 4. यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थियों, प्रत्यर्थी और उनके अन्य भाई-बहनों के बीच विभाजन था। विभाजन सूची सूट में Exhbit-A8 के रूप में चिह्नित है। यह दिनांकित 17.11.1980 है। वादी अनुसूची की संपत्तियाँ प्रत्यर्थी को आवंटित विभाजन विलेख में एफ-अनुसूची का एक हिस्सा हैं। प्रत्यर्थी का मामला उसे एफ-अनुसूची आवंटित करने वाले उक्त विभाजन विलेख पर आधारित है। अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 1 के आदेश द्वारा संशोधित मुकदमे में उनका मामला यह है कि वह अपनी यकृत की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में मरीज के रूप में थे। अपीलकर्ताओं ने कथित तौर पर कागजों पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए और कथित निपटान दिनांक 15.4.1986 और कथित रसीद दिनांक 08.12.1983 (दस्तावेज़ कोरकोंडा चलपति राव बनाम।

कोरकोंडनपुर्ना संपथ कुमार [के. एम. जोसेफ, जे.]

जो विवाद में हैं)। यह उनका आगे का मामला है कि अपीलार्थी उनकी अनुमति से संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। अपीलार्थियों द्वारा खाली करने से इनकार करने और नोटिसों के आदान-प्रदान के बाद, राहत की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया जाता है जैसा कि उल्लेख किया गया है। दो वाद अनुसूची आइटम हैं। वस्तु संख्या 1 छत वाला घर, भूतल और ऊपर की मंजिल है। मद सं। 2 विभाजन विलेख की एफ-अनुसूची के संदर्भ में सीमाओं में आधा हिस्सा नादवा हिस्सा है।

5. दूसरी ओर, अपीलार्थियों का मामला यह है कि जबकि विभाजन सूची दिनांक 17.11.1980 को विभाजन के तथ्य को दर्ज करते हुए निष्पादित किया गया था, जो पहले से ही प्रभावित था, बाद में विकास हुए। प्रत्यर्थी और उसकी पत्नी ने बड़ों के सामने विवाद उठाया और शिकायत की कि उन्हें दिया गया हिस्सा पर्याप्त नहीं था। बुजुर्गों के हस्तक्षेप पर, यह तय किया गया और अपीलकर्ताओं और प्रत्यर्थी के बीच सहमति हुई कि प्रत्यर्थी को अपना हिस्सा दूसरे अपीलार्थी को देना चाहिए और प्रत्यर्थी को नादव मार्गम में अपना एक तिहाई हिस्सा भी अपीलार्थियों को देना चाहिए और उसी के लिए विचार करते हुए

पहली अपीलार्थी को Rs.25,000/- देना था और दूसरी अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को Rs.75,000/- देना था। उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया। बुजुर्गों की सलाह पर अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि खरारुनामा

दिनांकित 15.04.1986 को तथ्यों को दर्ज करते हुए निष्पादित किया गया था। प्रत्यर्थी और उसकी पत्नी द्वारा उन्हें रहने की अनुमति देने के अनुरोध पर, प्रत्यर्थी को संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति दी गई। यह अपीलार्थियों का अगला मामला है।

कि दिसंबर, 1993 में, प्रत्यर्थी और उसकी पत्नी ने अपीलार्थियों को सूचित किया कि वे दूसरे अपीलार्थी के घर के हिस्से को खाली कर देंगे और उसे छोड़ देंगे, लेकिन प्रतिवादियों को कुछ और पैसे देने चाहिए क्योंकि वे

संपत्ति खाली करने का इरादा। बुजुर्गों ने मामले को सुलझा लिया और यह आरोप लगाया जाता है कि दूसरे अपीलार्थी को रुपये का भुगतान करना पड़ा। प्रत्यर्थी के प्रति स्नेह और शांति प्राप्त करने के लिए, दूसरा अपीलार्थी रुपये 2,00,000/- (दो लाख रुपये) का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। तदनुसार, बुजुर्गों की उपस्थिति में 08.12.1993 पर रु. 2,00,000/- का भुगतान किया गया था और दूसरे अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा दिनांकित 08.12.1993 जारी की गई थी और उसी दिन, प्रत्यर्थी पर आरोप लगाया जाता है कि उसने दूसरे अपीलार्थी के घर में अपने कब्जे में हिस्सा खाली कर दिया और किराए के हिस्से में स्थानांतरित कर दिया।

6. प्रत्यर्थी की ओर से साक्षय के पूरा होने के बाद, अपीलकर्ताओं ने साक्षय शपथ पत्र दायर किया और इसे चिह्नित करने की मांग की

खारुरूनामा और रसीद दिनांकित 08.12.1993। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, निचली अदालत ने उक्त दस्तावेजों को चिह्नित करने की अनुमति दी। विवादित फैसले से उच्च न्यायालय ने पाया है कि पंजीकरण के अभाव में और दस्तावेजों पर मुहर नहीं लगने से वे अस्वीकार्य थे।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना। हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील श्री एम. विजय भास्कर को भी सुना और

श्री वेंकटेश्वर राव, प्रतिवादी की ओर से विद्वान वकील। 8. अपीलार्थियों द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि पारिवारिक समझौता खरारुनामा दिनांकित 15.04.1986 तीन बार में तैयार किया गया था। द.

प्रत्यर्थी ने तीन प्रतियों में से एक भी प्राप्त की। अपनी जाँच में प्रत्यर्थी ने उक्त 'खरारुनामा' में अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया और

इसे बी1 से बी3 के रूप में चिह्नित किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू1 के रूप में प्रत्यर्थी ने तारीख की रसीद पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार कर लिया है

08.12.1993 के रूप में चिह्नित (बी 4)। बी9 से बी11 को खाररुनामा पर हस्ताक्षर का प्रवेश दिनांक 15.04.1986 कहा जाता है जब प्रतिवादी का खाररुनामा के साथ सामना किया जाता है। यह इंगित किया गया है कि उच्च न्यायालय ने पारिवारिक निपटान/पारिवारिक व्यवस्था के कानून से संबंधित सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार पारिवारिक निपटान खरारुनामा और दिनांकित रसीद पर विचार नहीं करने में गलती की। सुब्राय एम. एन. बनाम में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया है। विट्टला एम. एन. 1 यह तर्क देना कि पारिवारिक निपटान और पारिवारिक व्यवस्था में परिवार के सदस्यों के हिस्से का मौखिक त्याग हो सकता है। यदि उक्त पारिवारिक समझौते की शर्तों को लिखित रूप में कम कर दिया जाता है, और यह केवल एक ज्ञापन है जिसे बाद में मौखिक पारिवारिक समझौते की शर्तों को दर्ज करते हुए निष्पादित किया जाता है, तो, किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। थुलसिधारा बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। नारायणप्पा 2 पर भी भरोसा किया गया है। अंत में यह तर्क दिया जाता है कि भले ही पारिवारिक निपटान खरारुनामा को पंजीकृत करने की आवश्यकता हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पंजीकरण के बिना पारिवारिक निपटान/व्यवस्था के लिखित दस्तावेज का उपयोग पुष्टि करने वाले साक्षय के रूप में किया जा सकता है।

इसके तहत और पक्षकारों का आचरण, उच्च न्यायालय का आदेश कमजोर है।

9. इसके विपरीत, अपीलकर्ताओं द्वारा खाली कागजों पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने और बाद में उनका उपयोग करने के बारे में अपने मामले को दोहराने के अलावा

पारिवारिक निपटान के लिए, यह तर्क दिया जाता है कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1) (बी) के तहत खारारुनामा दिनांकित पारिवारिक निपटान के लिए पंजीकरण की आवश्यकता है। उक्त समझौते के तहत, अपीलकर्ताओं को प्रत्यर्थी को एक निश्चित राशि का भुगतान करना चाहिए। दस्तावेज़ विचार की प्राप्ति के बाद लागू होगा। यह है।

उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने में सही है कि अपंजीकृत परिवार 1 1 (2016) 8 एस. सी. सी. 705

2 (2019) 6 एस. सी. सी. 409 रुकोंडा चलपति राव बनाम। कोरकोंडा अन्नापुर्ना संपथ कुमार [के. एम. जोसेफ, जे.]

अरुनामा, जिसके तहत त्याग का एक पिछला लेनदेन है

डीड, पंजीकरण के अभाव और की कमी के लिए अस्वीकार्य था

ओ कर्तव्य।

10. खरारुनामा अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:

" हम तीनों भाई हैं। हम और हमारे भाइयों ने पारिवारिक संपत्तियों को विभाजित किया और 17-11-1980 दिनांकित विभाजन सूची को निष्पादित किया। उक्त विभाजन सूची के अनुसार बी अनुसूची संपत्ति हम में से नंबर 1 पर आती है और ई अनुसूची संपत्ति हम में से नंबर 2 पर आती है और एफ अनुसूची संपत्ति हम में से नंबर 3 पर आती है और हम उन संपत्तियों का आनंद ले रहे हैं। जबकि मामला यह था कि घर के लिए कुछ निर्माण किए गए थे। नं. 2 और हम में से 3 ने उस संपत्ति को विभाजित किया है जो संयुक्त रूप से उनके पास आई थी और कुछ निर्माण किए और आनंद लिया। नादवा तरीका

हम सब मिलकर इसका आनंद ले रहे हैं।

हम उन घटनाओं को लिखने में कम नहीं हुए हैं जो उनके बीच हुई थीं। हम तीनों 17-11-1980 के बाद हैं। हम आनंद लेते हैं

की सलाह के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तनों के अनुसार गुण

बुजुर्ग। नादव तरीका जो मूल रूप से हम तीनों के लिए संयुक्त रूप से गिराया गया था, नोस द्वारा आनंद लिया जा रहा है। 1 और हम में से 2 जब से नहीं। 3 हममें से कईयों ने अपना अविभाजित 1/3 भाग संख्या के पक्ष में दे दिया। 1 और हम दोनों। इसी तरह, सं।

1 और हम में से 2 एक के साथ नादवा तरीके से आनंद ले रहे हैं

यदि भूतल पर कोई और मंजिलें खड़ी की जाती हैं तो इसी तरह नादवा तरीके से आनंद लेने की समझ। अविभाजित 1⁄2 शेयर हाउस भाग

हम घर के पूरे हिस्से का आनंद ले रहे हैं। हममें से नंबर 3 पूर्ण अधिकारों के साथ दुकान के कमरे का आनंद ले रहा है जो इस समझ के साथ उसके हिस्से में गिर गया था कि हम में से नंबर 3 उठा सकते हैं। दुकान के कमरे के माप के भीतर उक्त दुकान के कमरे पर निर्माण। हम इस समझ के साथ आनंद ले रहे हैं कि उपरोक्त दुकान की पूर्वी दीवार Nos.2 और हम 3 के बीच संयुक्त होगी और पश्चिमी दीवार हम तीनों के लिए संयुक्त होगी और उत्तरी दीवार Nos.2 और हम 3 के बीच संयुक्त होगी।

हमारे पास

[2021] 11 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस समझ के साथ आनंद ले रहे हैं कि हम में से कोई भी व्यवस्था नहीं करेगा

किसी भी दरवाजे-रास्ते, खिड़कियाँ या वेंटिलेटर उक्त संयुक्त दीवारों के लिए।

उपरोक्त समायोजनों के लिए हम में से नंबर 1 पहले ही नंबर 3 को Rs.25,000/- (बीस-पांच हजार रुपये) का भुगतान कर चुका है और हम में से नंबर 2 पहले ही रुपये का भुगतान कर चुका है। 75,000 / - (रुपया सत्तर-पाँच

हज़ार) से लेकर हम में से नंबर 3 तक।

हम आगे की मंजिलों के निर्माण के समय अपने संबंधित भूतल भाग से अलग कदमों की व्यवस्था करने पर सहमत हुए हैं।

नं. 1 हम में से 3 लोग पूर्ण अधिकारों के साथ ऊपर उल्लिखित संपत्तियों का आनंद ले रहे हैं। हम दिनांकित 17-11-1980 विभाजन सूची के अनुसार हमारे पास आई शेष संपत्तियों का आनंद ले रहे हैं।

इस दस्तावेज़ में इनका उल्लेख नहीं है।
इस खारुरुनामा को अभिलेख उद्देश्य के लिए निष्पादित किया जाता है और इसके लिए

स्मरण का उद्देश्य। इस दस्तावेज़ की सभी सामग्री को पढ़ा जाता है और हम सभी को समझाया जाता है और हम अपनी इच्छा पर सामग्री पर स्वेच्छा से सहमत हुए हैं। हम भविष्य में कोई विवाद नहीं उठाएंगे।

पक्ष 1 और 2 अपीलार्थी हैं। तीसरा पक्ष उत्तरदाता है।

11. जहां तक रसीद की बात है, तो उस पर 20 पैसे के राजस्व टिकट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। यह कथित रूप से प्राप्त करने वाले प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया जाता है।

बुजुर्गों की सलाह के अनुसार 08.12.1983 पर रु. 2,00,000/- (दो लाख रुपये) के अलावा रु. 1,00,000 / - (एक लाख रुपये) पहले से ही खाररुनामा में उल्लिखित घर के हिस्से को खाली करते समय खाररुनामा में उल्लिखित प्रतिवादी को भुगतान किया गया है।

उस दुकान कक्ष को छोड़कर जो विभाजन सूची 1980 के तहत प्रत्यर्थी के हिस्से में आता है, जिस पर कथित रूप से दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह दूसरे अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया जाता है।

चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में कोई अधिकार या हित, चाहे वह निहित हो या अनिवार्य रूप से पंजीकृत अचल संपत्ति में Rs.100/- और उससे ऊपर के मूल्य का आकस्मिक। धारा 17 (1) (सी) इस प्रकार है:

“ 17 (1) (ग) गैर-वसीयती दस्तावेज जो ऐसे किसी अधिकार के निर्माण, घोषणा, समनुदेशन, सीमा या विलुप्त होने के कारण किसी भी प्रतिफल की प्राप्ति या भुगतान को स्वीकार करते हैं,

शीर्षक या ब्याज; और "रुकोंडा चलपति राव बनाम। कोरकोंडा अन्नापुर्ना संपथ कुमार [के. एम. जोसेफ, जे.]

13. धारा 17 (2) उपखंड (1) के खंड (बी) और (सी) में कुछ भी प्रदान नहीं करती है, अन्य बातों के साथ-साथ, क्यू अधिकारी द्वारा किए गए विभाजन के किसी भी साधन पर लागू होती है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 इस प्रकार है:

" 49. आवश्यक दस्तावेजों का पंजीकरण न होने का प्रभाव

पंजीकृत। धारा 17 1 [या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) के किसी भी प्रावधान द्वारा] द्वारा कोई दस्तावेज आवश्यक नहीं है।

(ख) गोद लेने की कोई शक्ति प्रदान करता है, या (ग) ऐसे लेनदेन को प्रभावित करने वाले किसी भी लेनदेन के प्रमाण के रूप में प्राप्त किया जाए।

संपत्ति या ऐसी शक्ति प्रदान करना, जब तक कि पंजीकृत: 54 [बशर्ते कि अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाला और इस अधिनियम या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) द्वारा आवश्यक एक अपंजीकृत दस्तावेज, जिसे पंजीकृत किया जाना है, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877

(1877 का 3) के अध्याय II के तहत विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में अनुबंध के प्रमाण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

या किसी संपार्श्विक लेन-देन के प्रमाण के रूप में आवश्यक नहीं है

पंजीकृत साधन द्वारा प्रभावित।] .....'

केवल काले बनाम के मामले को संदर्भित करने की आवश्यकता है। डी. निदेशकओलिडेशन 3. इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रस्ताव में परिवार की अनिवार्यताओं का सारांश दिया है:

" 10. दूसरे शब्दों में, पारिवारिक समझौते के बाध्यकारी प्रभाव और अनिवार्यताओं को ठोस रूप में रखने के लिए, मामला हो सकता है -

निम्नलिखित प्रस्तावों के रूप में घटाया:

" (1) पारिवारिक समझौता एक प्रामाणिक समझौता होना चाहिए ताकि विभिन्न सदस्यों के बीच संपत्ति के उचित और न्यायसंगत विभाजन या आवंटन द्वारा पारिवारिक विवादों और प्रतिद्वंद्वी दावों का समाधान किया जा सके।

(2) उक्त समझौता स्वैच्छिक होना चाहिए और धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से प्रेरित नहीं होना चाहिए। (3) पारिवारिक व्यवस्था मौखिक भी हो सकती है जिस स्थिति में

कोई पंजीकरण आवश्यक नहीं है;

(4) यह अच्छी तरह से तय है कि पंजीकरण केवल आवश्यक होगा।

जिसमें पारिवारिक व्यवस्था के नियम और पाठ शामिल हैं। दस्तावेज़ के तहत बनाया गया और केवल एक ज्ञापन तैयार किया गया

परिवार की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी थी

अभिलेख के उद्देश्य से या न्यायालय की जानकारी के लिए

आवश्यक उत्परिवर्तन करने के लिए। ऐसे मामले में ज्ञापन

स्वयं अचल संपत्ति में किसी भी अधिकार का निर्माण या उन्मूलन नहीं करता है। गुण और इसलिए शरारत के दायरे में नहीं आता है

पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (2) और इसलिए, नहीं है

अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य;

(5) सदस्य जो पारिवारिक व्यवस्था के पक्षकार हो सकते हैं

कुछ पूर्ववर्ती स्वामित्व, दावा या ब्याज भी होना चाहिए

संपत्ति में संभावित दावा जो द्वारा स्वीकार किया जाता है

समझौते के पक्षकार। भले ही पार्टियों में से एक

समझौते का कोई अधिकार नहीं है लेकिन व्यवस्था के तहत दूसरा अधिकार है

पक्ष अपने सभी दावों या शीर्षकों को ऐसे पक्ष में छोड़ देता है

व्यक्ति और उसे एकमात्र मालिक के रूप में स्वीकार करता है, फिर

पूर्ववर्ती उपाधि ग्रहण की जानी चाहिए और पारिवारिक व्यवस्था

बरकरार रखा जाएगा और अदालतों को देने में कोई कठिनाई नहीं होगी

उसी पर सहमति दें;

(6) भले ही प्रामाणिक विवाद, वर्तमान या संभव, जो हो सकता है

जिसमें कानूनी दावे शामिल नहीं हैं, उनका निपटारा एक प्रामाणिक परिवार द्वारा किया जाता है ऐसी व्यवस्था जो उचित और न्यायसंगत हो-पारिवारिक व्यवस्था

यह अंतिम है और समझौते के लिए पक्षों पर बाध्यकारी है।

(जोर दिया गया)

15. इस मामले के तथ्यों में, अपीलार्थियों का तर्क है -

कि खारुरूनामा दिनांकित 15.04.1986 केवल भाइयों के बीच हुई व्यवस्था को निर्धारित करता है जो कि पारिवारिक व्यवस्था है और यह

यह केवल पिछले लेन-देन का एक रिकॉर्ड था और इसलिए यह अपने आप में अचल संपत्ति पर किसी भी अधिकार का निर्माण या उन्मूलन नहीं करता था। नतीजतन, दस्तावेज़ पंजीकरण अधिनियम की धारा 17

(1) (बी) को आकर्षित नहीं करता था। दूसरे शब्दों में, यह तर्क दिया जाता है कि भले ही अधिकारों का त्याग हो

परिवार के सदस्य द्वारा, चूंकि दस्तावेज़ केवल एक रिकॉर्ड है जो अतीत में पहले ही हो चुका था, इसलिए कानून पंजीकरण को अनिवार्य नहीं करता था।

16. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस संबंध में जोर दिया जाता है

सुब्राय एम. एन. बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर अपीलार्थी। विट्टला एम. एन.

कोरकोंडा चलपति राव बनाम। कोरकोंडनपुर्ना संपथ कुमार [के. एम. जोसेफ, जे.]

(ऊपर)। इसमें, वाद आइटम 1 और 2 संपत्तियों के विवाद के संबंध में, ग्राम पंचायत द्वारा हस्ताक्षरित डी 22 प्रस्ताव पारित किया गया था पंचायतदार, वादी 3 और 4 और प्रतिवादी। अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी, जिसके पक्ष में वादी 3 और 4 ने अधिकार छोड़ दिए थे, ने उक्त वादी को प्रत्येक को Rs.15,000/- का भुगतान किया था। पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 और 49 के प्रभाव से निपटने के लिए इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया:

" 16. भले ही एक्सट में गायन। डी-22 का प्रभाव है

मद 1 और 2, खंड में अधिकार का त्याग। डी-22 लिया जा सकता है

पारिवारिक व्यवस्था/बस्तियों के रूप में। कानून का कोई प्रावधान नहीं है

पारिवारिक निपटान को लेखन और पंजीकरण तक सीमित करने की आवश्यकता, हालांकि पंजीकरण का प्रश्न लिखने तक सीमित होने पर हो सकता है

उठें। अचल संपत्ति से निपटने के लिए बाध्यकारी पारिवारिक व्यवस्थाएँ

सौ रुपये से अधिक की संपत्ति मौखिक रूप से बनाई जा सकती है और जब ऐसा किया जाता है, तो पंजीकरण का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर यह

लेखन के रूप में इस उद्देश्य से कम किया गया है कि शर्तें

इसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता थी और इसके बिना

पंजीकरण यह अस्वीकार्य है; लेकिन उक्त पारिवारिक व्यवस्था कर सकती है दिखाने के लिए सबूत के पुष्टिकारक टुकड़े के रूप में उपयोग किया जाए या

पक्षों के आचरण की व्याख्या करना। वर्तमान मामले में, एक्स. डी.

22 पंचायत प्रस्ताव को लिखित में घटाया गया, हालांकि पंजीकृत नहीं किया गया

समझौता होने की व्याख्या करते हुए सबूत के एक टुकड़े के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है

से धन प्राप्त करने में पक्षों का आचरण

प्रतिवादी मद 1 और 2 में अपनी रुचि छोड़ने के बदले में।"

(जोर दिया गया)

17. इस दृष्टिकोण का अनुसरण थुलसिधार v में भी किया गया है।

नारायणप्पा। पैराग्राफ-9.5 निम्नानुसार है:

" 9.5 . जैसा कि इस न्यायालय ने सुब्राय एम. एन. में अभिनिर्धारित किया है। [सुब्राय एम. एन. वी. विट्टला एम. एन., (2016) 8 एस. सी. सी. 705] बिना पंजीकरण के भी

पारिवारिक निपटान/पारिवारिक व्यवस्था का एक लिखित दस्तावेज

व्यवस्था की व्याख्या करते हुए पुष्टि करने वाले साक्षय के रूप में उपयोग किया जाए

इसके तहत किया गया और पक्षों का आचरण। वर्तमान मामले में,

जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, यहाँ तक कि वादी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है

स्वीकार किया कि मौखिक विभाजन 23-4-1971 पर हुआ था और

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 3 से 4 पंचायत के लोग भी मौजूद थे।

हालाँकि, उनके अनुसार, इसे लिखित रूप में कम नहीं किया गया था।

इसलिए, यहां तक कि वादी के मामले को स्वीकार करते हुए कि वहाँ था 23-4-1971, दस्तावेज़, Ext पर एक मौखिक विभाजन। डी-4 दिनांक 23

4-1971 , जिस पर वह हस्ताक्षरकर्ता भी है और अन्य सभी परिवार

सदस्य हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिन्हें संपत्तियों की सूची कहा जा सकता है

विभाजित। मौखिक विभाजन के अनुसार सभी को अधिकार/हिस्सेदारी मिली / विभाजन। इसलिए, इसका उपयोग पुष्टि के रूप में भी किया जा सकता है।

मामले में, उच्च न्यायालय ने एक गंभीर/स्पष्ट त्रुटि की है दस्तावेज़ एक्स्ट को नहीं देखना और/या उस पर विचार नहीं करना। डी-4

दिनांकित 23-4-1971 "।

18. उक्त मामले में वादी ने मौखिक विभाजन को स्वीकार किया था और

23.04.1971 दिनांकित अपंजीकृत दस्तावेज़, जिस पर वह हस्ताक्षरकर्ता था, विभाजन में संपत्तियों की सूची के रूप में स्वीकार किया गया था।

19. राम चरण वी. गिरजा नंदिनी 3, यह न्यायालय इस पर विचार कर रहा था

एक समझौता डिक्री का मामला और इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह एक पारिवारिक व्यवस्था थी। यह इस प्रकार बना रहा:

" .....जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने एमएसटी में बताया है। हिरन बीबी का मामला, ए. आई. आर. 1914 पी. सी. 44 में एक पारिवारिक समझौते में प्रत्येक पक्ष एक हिस्सा लेता है।

उस स्वतंत्र अधिकार के आधार पर संपत्ति में जिसे स्वीकार किया जाता है

उस हद तक अन्य दलों द्वारा। यह आवश्यक नहीं है, जैसा कि होगा

रंगासामी गौंडेन बनाम में निर्णय से प्रकट होता है। नचियप्पा

गौंडेन 46 इंड ऐप 72 (ए. आई. आर. 1918 पी. सी. 196), कि प्रत्येक पक्ष

पारिवारिक समझौते के तहत लाभ लेना अनिवार्य रूप से दिखाया जाना चाहिए।

यहाँ तक कि किसी अन्य आधार पर दावे की झलक भी, जैसे कि स्नेह "।

(जोर दिया गया)

20. इस विचार को कृष्ण बिहारीलाल बनाम में दोहराया गया है।

गुलाबचंद। येल्लापु में उमा माहेश्वरी और एक अन्य वी। बुद्ध जगदीश्वराव और अन्य ', इस न्यायालय ने पाया कि

5 ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 292 6 ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1041

7 (2015) 16 एस. सी. सी. 787 कोरकोंडा चलपति राव बनाम। कोरकोंडनपुर्ना संपथ कुमार [के. एम. जोसेफ, जे.]

दस्तावेज़ के माध्यम से अधिकार का त्याग किया गया था। इसलिए, यह पाया गया कि दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से पंजीकृत थे। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

निर्णायक कारक नहीं है, बल्कि प्रकृति और सार है लेन-देन का निर्धारण शर्तों के संदर्भ में किया जाना चाहिए

उस दस्तावेज़ में निहित पाठों पर निर्भर करता है लेकिन इस पर नहीं उस पक्ष द्वारा स्थापित अभिवचनों का आधार जो प्रस्तुत करना चाहता है

विचाराधीन दस्तावेज़। दोनों एक्सट्स का गहन अध्ययन। बी-21

और बी-22 यह बहुत स्पष्ट करता है कि अधिकार का त्याग है।

एक दस्तावेज के माध्यम से अचल संपत्ति के संबंध में जो है

49 पंजीकरण अधिनियम। इसलिए, एक्सटीएस। बी-21 और बी-22 हैं दस्तावेज़ जो पूरी तरह से धारा 17 (1) (बी) के दायरे में आते हैं

पंजीकरण अधिनियम और इसलिए अनिवार्य रूप से पंजीकृत हैं

दस्तावेज़ और वही सबूत में अस्वीकार्य हैं

पक्षों के बीच विभाजन के तथ्य को साबित करने का उद्देश्य।

हमारी सुविचारित राय है कि Exts। बी-21 और बी-22 हैं प्राथमिक साबित करने के उद्देश्य से साक्षय में स्वीकार्य नहीं

विभाजन का उद्देश्य "।

(जोर दिया गया)

21. हम यह सीता राम भामा बनाम में देख सकते हैं। रामावतार भामा 3,

जिसमें अपीलार्थी और प्रत्यर्थी भाई थे, अपीलार्थी के अनुसार, उनके दिवंगत पिता द्वारा तय किए गए समझौते का ज्ञापन उनकी अर्जित संपत्ति के संबंध में दर्ज किया गया था। सवाल यह उठा कि क्या समझौता स्वीकार्य था। पैराग्राफ-10 पर ध्यान देना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:

" 10. एकमात्र प्रश्न जिस पर वर्तमान में विचार करने की आवश्यकता है

मामला यह है कि क्या 9-9-1994 दिनांकित दस्तावेज़ हो सकता है

निचली अदालत द्वारा साक्षय में स्वीकार किया गया है या निचली अदालत ने सही कहा है

उक्त दस्तावेज़ को अस्वीकार्य ठहराया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पारिवारिक समझौते के ज्ञापन के रूप में 9-9-1994 दिनांकित दस्तावेज़।

वादी का मामला यह है कि पहले विभाजन जीवनकाल में हुआ था

25-10-1992 पर पार्टियों के पिता के रूप में दर्ज किया गया था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उसने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि उक्त दस्तावेज़ को वसीयत नहीं कहा जा सकता है, ताकि पिता अपने दो बेटों, वादी और प्रतिवादी के पक्ष में वसीयत कर सके। जिस दिन देवी दत्त वर्मा द्वारा संपत्ति का विभाजन किया गया था, उस दिन न तो वादी का और न ही प्रतिवादी का कोई हिस्सा था। देवी दत्त वर्मा की मृत्यु 10-9-1993 पर हुई। उसकी मृत्यु के बाद, वादी, प्रतिवादी और उनकी माँ के साथ-साथ बहनें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत कानूनी उत्तराधिकारी बन जाती हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी। 9-9-1994 दिनांकित दस्तावेज़ ने वादी और प्रतिवादी के बीच पूरी संपत्ति को विभाजित किया जो दस्तावेज़ है

यह भी दावा किया जाता है कि उनकी माँ के साथ-साथ बहनों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, संपत्तियों के अन्य उत्तराधिकारियों के अधिकारों का त्याग किया जाता है, इसलिए, नीचे दी गई अदालतें अपने निष्कर्ष में सही हैं कि त्याग होने के कारण, 9-9-1994 दिनांकित दस्तावेज़ धारा 17 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत था।

पंजीकरण अधिनियम "।

22. इसके बाद, हम पैराग्राफ 13 में इस न्यायालय के दृष्टिकोण को निम्नानुसार देख सकते हैं:

" 13. मामले का केवल एक पहलू है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है अर्थात क्या दिनांकित 9-9-1994 दस्तावेज़, जो साक्षय में अस्वीकार्य था, का उपयोग किसी भी मामले के लिए किया जा सकता था। संपार्श्विक उद्देश्य। विभाजन के लिए एक मुकदमे में, एक अपंजीकृत दस्तावेज़ पर संपार्श्विक उद्देश्य के लिए भरोसा किया जा सकता है, यानी स्वामित्व का विच्छेद, विभिन्न शेयरों के कब्जे की प्रकृति, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य के लिए नहीं, यानी संयुक्त संपत्तियों को वस्तु और सीमा द्वारा विभाजित करना।

23. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त मामले में अदालत ने येल्लापु उमा माहेश्वरी और अन्य (ऊपर) के फैसले का पालन किया है। यह पाया गया कि

अपंजीकृत ज्ञापन का उपयोग पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के अर्थ के भीतर संपार्श्विक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि

जुर्माना और स्टाम्प शुल्क। 24. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 13 नियम 3 (इसके बाद संक्षेप में 'संहिता' के रूप में संदर्भित) न्यायालय को कोरकोंडा चलपति राव बनाम को सक्षम बनाता है।

कोरकोंडनपुर्ना संपथ कुमार [के. एम. जोसेफ, जे.]

किसी भी दस्तावेज़ को अस्वीकार करें जिसे अप्रासंगिक या अन्यथा माना जाता है इस तरह की अस्वीकृति के आधार को अस्वीकार्य दर्ज करना। संहिता के आदेश 13 नियम 4 में उस प्रक्रिया का प्रावधान है जब किसी दस्तावेज़ को साक्षय में स्वीकार किया जाता है। धारा 49 का संबंध गैर-पंजीकरण के प्रभाव से है

ऐसे दस्तावेज जो पंजीकरण अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 17 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत हैं। पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 (ए) घोषणा करती है कि एक अपंजीकृत दस्तावेज जो अनिवार्य रूप से पंजीकृत है, उसमें शामिल किसी भी अचल संपत्ति को 'प्रभावित' नहीं कर सकता है। अभिव्यक्ति 'प्रभाव' को मद्रास उच्च न्यायालय के मुरुगा मुदल्लर और ओआरएस मामले में पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा समझाया गया है। वी. सुब्बा रेड्डीआरो। हम न्यायमूर्ति सत्यनारायणा राव के निर्णय में केवल निम्नलिखित चर्चा को देख सकते हैं। :

" जैसा कि स्पेन्सर जे. ने सरस्वतीम्मा बनाम में बताया है। पद्दय्या, 46 पागल। 349 : (ए. आई. आर. 1923 पागल। 297) धारा 49 में "प्रभाव" क्रिया केवल एक संक्षिप्त शब्द है जिसका उपयोग विधानमंडल द्वारा लंबे वाक्यांश "तात्पर्य या तात्पर्य" के अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में , किसी भी अधिकार, स्वामित्व या हित को बनाने, घोषित करने, निर्दिष्ट करने, सीमित करने या समाप्त करने के लिए काम करना, चाहे वह निहित हो या आकस्मिक हो "(कांजी और मूलजी ब्रदर्स, v. षण्मुघम पिल्लई, 56 मैड। 169 : (ए. आई. आर. 1932 पागल। 734) , जहाँ का दृश्य

स्पेंसर जे. को स्वीकार कर लिया गया) "।

25. पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 (सी) अनिवार्य रूप से पंजीकृत दस्तावेजों को स्वीकार करने से रोकती है जो सबूत के रूप में अपंजीकृत हैं।

अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी लेन-देन का, जब तक कि वह पंजीकृत न हो। उसी निर्णय में, हम निम्नलिखित चर्चा पर ध्यान देते हैं:

" गैर-पंजीकरण का दूसरा परिणाम दस्तावेज़ को साक्षय में नहीं, बल्कि ऐसी संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी भी लेनदेन के प्रमाण के रूप में प्राप्त करने से रोकना है। जिस पर जोर दिया गया है

"जैसा" शब्द, मेरी राय में, जे. वेंकटसुब्बा राव द्वारा सरस्वतीथा बनाम में उचित रूप से रखा गया था। पद्द्य्या, 46 पागल। 349 : (ए. आई. आर. 1923

पागल। 297) , जहाँ विद्वान न्यायाधीश ने टिप्पणी की: " धारा द्वारा जो वर्जित है वह एक दस्तावेज़ प्राप्त करना है

ए का प्रमाण

लेन-देन, न केवल इसे साक्षय के रूप में प्राप्त करना, अर्थात, साक्षय के एक टुकड़े के रूप में जो अंततः तय किए जाने वाले प्रश्न पर असर डालता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दूसरे शब्दों में, निषेध किसी व्यक्ति को रोकने के लिए है

साक्षय में दस्तावेज़ के उपयोग द्वारा एक "लेनदेन" स्थापित करना,

अचल संपत्ति को प्रभावित करना "। किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दस्तावेज़ के उपयोग से अप्रत्यक्ष रूप से यह स्थापित करने के लिए कि उसे क्या प्रतिबंधित किया गया है

खंड (ए) के तहत सीधे करने से। ”

(जोर दिया गया)

26. परंतुक में दो अपवाद दिए गए हैं। हम केवल

संबंधित, इस मामले में, उनमें से केवल एक के साथ और जो इसमें निहित है

परंतुक का अंतिम अंग। अपंजीकृत दस्तावेज़ का उपयोग किसी भी संपार्श्विक लेनदेन के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। हालाँकि यह इस बात के अधीन है कि

शर्त यह है कि उक्त संपार्श्विक लेन-देन स्वयं ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक पंजीकृत दस्तावेज द्वारा किया जाना चाहिए। यह परंतुक में निहित यह अभिव्यक्ति है जो हमें यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है कि क्या होगा एक संपार्श्विक लेनदेन का गठन करता है। यदि यह संपार्श्विक लेन-देन

था, तो एक अपंजीकृत दस्तावेज़ का उपयोग वास्तव में इसे साबित करने के लिए सबूत के रूप में किया जा सकता है। क्या अपंजीकृत दस्तावेज़ के आधार पर कब्जे का आनंद लिया जा रहा है या कब्जे की प्रकृति, एक लेनदेन होगा और आगे यह एक संपार्श्विक लेनदेन होगा? हम इस प्रश्न को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं

अपीलार्थियों का तर्क है कि भले ही खाररुनामा दिनांक 1 का उपयोग अतीत में हुए अधिकार के त्याग के तथ्य को साबित करने के लिए सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता है, लेकिन खाररुनामा को पक्षों के आचरण और कब्जे की प्रकृति को साबित करने के लिए देखा जा सकता है जो पक्षों द्वारा प्राप्त किया गया था।

27. एन. वरदा पिल्लई बनाम। जीवरत्नम्मल 1, प्रिवी काउंसिल

अदालत ने यह विचार रखा कि हालांकि अपंजीकृत, दस्तावेज़ का उपयोग किसी व्यक्ति के कब्जे की प्रकृति को समझाने के लिए किया जा सकता है। उक्त मामले में, वास्तव में, दो विधवाओं, जिनके पास समान शेयरों में संपत्ति थी, ने कलेक्टर को आवेदन किया कि उन्होंने संपत्ति को स्त्रीधन के रूप में एक महिला को दे दिया है और संपत्ति को उसे हस्तांतरित करने के लिए आदेश जारी किए जा सकते हैं। संपत्ति इस तरह हस्तांतरित की गई थी कि याचिका का आधार। इस सवाल पर कि क्या हस्तांतरणकर्ता ने प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व प्राप्त किया था, जबकि कलेक्टर के समक्ष अपंजीकृत याचिका को उपहार साबित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सका था, इस तथ्य पर कि हस्तांतरणकर्ता एक दाता और मालिक के रूप में जारी था, प्रतिकूल कब्जे के मामले का समर्थन करने के लिए उक्त याचिका से प्राप्त किया गया था।

10 ए. आई. आर. 1919 पी. सी. 44 कोरकोंडा चलपति राव बनाम। कोरकोंडनपुर्ना संपथ कुमार [के. एम. जोसेफ, जे.]

28. उक्त निर्णय से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास था

इस अदालत ने कृपाल कौर बनाम मामले में तथ्यों के एक अलग समूह पर इनकार कर दिया। बचन सिंह और Ors.[11]। उक्त मामले में अदालत इस पर विचार कर रही थी कि निम्नलिखित तथ्य। एक हिंदू की विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद वादी अनुसूची की संपत्तियों के कब्जे में आ गई। यहाँ तक कि उसने संपत्ति को भी परिवर्तित कर दिया। उसके द्वारा एक उपहार बनाया गया था। इसके बाद वापसी करने वालों ने उनसे संपर्क किया और उनके साथ एक अपंजीकृत दस्तावेज दर्ज किया गया

जिसमें उसने यह स्वीकार करने का इरादा किया कि उसके पास केवल एक जीवन संपत्ति है। इसके बाद मुकदमा दायर किया गया। विधवा ने मामला स्थापित किया

प्रतिकूल अधिकार। दूसरी ओर, वादी ने अपंजीकृत दस्तावेज़ पर भरोसा किया और एन. वरदा पिल्लई (ऊपर) के फैसले पर भरोसा किया। इस न्यायालय ने वादी के मामले को खारिज कर दिया और कृपाल कौर (ऊपर) में निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 15. हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि वरथा पिल्लई के अधिकार पर मामला (1918) 46 आई. ए. 285,6 फरवरी, 1932 का समझौता कर सकता है

की प्रकृति को दिखाने के लिए हाथ में मामले में साक्षय में स्वीकार किया जाए

हरनाम कौर ने अपनी तारीख के बाद की भूमि पर कब्जा कर लिया। में।

वरथा पिल्लई का मामला (1918) 46 आई. ए. 285, दुरैसानी इसमें शामिल हो गए थे।

याचिका के बाद ही कब्जा और कब्जा बनाए रखने का दावा किया

केवल उसमें उल्लिखित उपहार के तहत। इसलिए याचिका थी

इसके बाद उसके कब्जे की प्रकृति यह होगी कि उसे इस रूप में माना जाए पिछले कब्जे की प्रकृति को नष्ट करने के लिए कार्य करना और

जो प्रतिकूल कब्जे के रूप में शुरू हुआ था उसे अनुमति में परिवर्तित करें

कब्जा और, इसलिए, निहित समझौते को प्रभावी बनाने के लिए

जिसमें पंजीकरण के अभाव में ऐसा नहीं किया जा सकता है। को।

माँगे गए उद्देश्य के लिए साक्षय में इसे स्वीकार करना वास्तव में धारा 49 द्वारा लगाए गए वैधानिक प्रतिबंध को लागू करना

पंजीकरण अधिनियम "।

(जोर दिया गया)

29. यह इस कारण से महत्वपूर्ण है कि कानून में ऐसा नहीं है

प्रत्येक मामला जहां एक पक्ष यह याचिका दायर करता है कि अदालत एक अपंजीकृत दस्तावेजों को देख सकती है ताकि यह दिखाया जा सके कि अधिकार की प्रकृति से अदालत सहमत होगी। मुख्य सिद्धांत यह होगा कि क्या

पक्ष के मामले को एक अपंजीकृत दस्तावेज पर विचार करने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के अधिदेश का उल्लंघन होगा।

30. हम उपयोगी रूप से व्यक्त किए गए विचारों का भी उल्लेख कर सकते हैं

के. पंचपागेसा अय्यर और अन्य में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ। वी. के. कल्याणसुंदरम अय्यर और Ors.[12] 12। :

" 25. संक्षेप में यह निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में अच्छी तरह से तय किया गया है जो

तब से संशोधन अधिनियम द्वारा वैधानिक मान्यता प्राप्त की है

1929 (धारा 49 के नए परंतुक के समापन शब्दों को देखें

पंजीकरण अधिनियम) कि एक अनिवार्य रूप से पंजीकृत लेकिन एक

अपंजीकृत दस्तावेज़ संपार्श्विक के लिए साक्ष्य में स्वीकार्य है।

जिसका अर्थ है, सृजन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए,

अचल संपत्ति के अधिकार को घोषित करना, निर्दिष्ट करना, सीमित करना या समाप्त करना।

संपत्ति।

और न्यायालय को प्रत्येक मामले में यह तय करना चाहिए कि क्या इसका उद्देश्य जिसे अपंजीकृत दस्तावेज़ का उपयोग करने की मांग की जाती है, वह वास्तव में एक

संपार्श्विक एक या अचल के लिए सीधे शीर्षक स्थापित करना है

दस्तावेज़ द्वारा संपत्ति को व्यक्त करने की मांग की गई। लेकिन सरलता से

किसी भी कानूनी कार्यवाही में अपंजीकृत दस्तावेज़ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जो पंजीकृत होने पर पड़ता।

जेम्स आर. आर. स्किनर बनाम में सर जॉर्ज लॉन्डेस को उद्धृत करने के लिए। रॉबर्ट

हरक्यूलिस स्किनर आईएलआर 51 सभी 771: मनु/पीआर/0091/1929: एयर

1929 पी. सी. 269 (जेड 22) संपार्श्विक उद्देश्य जिसके लिए दस्तावेज़

कानून की चोरी के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए और इससे संबंधित अब तक के सुस्थापित नियम को लगभग निरर्थक बना देते हैं।

सीमित उपयोगों के लिए जिनके लिए एक अपंजीकृत विभाजन विलेख किया जा सकता है

लगा दीजिए "।

(जोर दिया गया)

31. रोशन सिंह और अन्य बनाम। जिल सिंह और अन्य 13

जी

सवाल यह उठा कि क्या उक्त मामले में प्रदर्शनी पी12 विभाजन का एक साधन था और इसलिए पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के तहत पंजीकरण के अभाव के लिए अस्वीकार्य था या क्या यह केवल एक

12 ए. आई. आर. 1957 मद्रास 472 13 ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 881 रुकोंडा चलपति राव बनाम।

कोरकोंडा अन्नापुर्ना संपथ कुमार [के. एम. जोसेफ, जे.]

पारिवारिक व्यवस्था। इस न्यायालय ने आदेश का उल्लेख करने के बाद निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 8. दस्तावेज़ एक्सएच के सादे शब्दों के अनुसार। पी-12, यह स्पष्ट है कि यह विभाजन का साधन नहीं था, बल्कि केवल एक था

संबंध पर विचार किया गया। इसी तरह पंच फैसल एक्स भी। पी-1 जिसने इस तरह की व्यवस्था की पुष्टि की, इन शब्दों के साथ शुरू होता है 'आज 31-1-1971 पर निम्नलिखित व्यक्ति एक को प्रभावी बनाने के लिए इकट्ठे हुए चौधरी पूरन सिंह और के बीच आपसी समझौता

चौधरी ज़िले सिंह और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 'इस तरह के निर्णय का उद्देश्य और प्रभाव उसके बाद दिया जाता है। सहमत शर्तों में से एक यह थी कि बी2 चिह्नित घेर बना रहेगा।

वादी का प्रतिनिधित्व करते हुए जिल सिंह के हिस्से में।

9. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि विभाजन का एक साधन जो स्वामित्व का गठन या विच्छेद करने वाली घोषित इच्छा के रूप में काम करता है या काम करने का इरादा रखता है और उसके लिए पक्षों के बीच विभाजित संपत्ति के कानूनी संबंध में परिवर्तन का कारण बनता है, अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता होती है, एक लेखन जो केवल यह बताता है कि अतीत में विभाजन हुआ है, वसीयत की घोषणा नहीं है, बल्कि केवल तथ्य का बयान है, और इसकी आवश्यकता नहीं है।

पंजीकरण। इस मामले का सार यह है कि क्या विलेख एक है

विभाजन लेन-देन का हिस्सा या इसमें केवल पहले से पूरे किए गए लेन-देन का एक आकस्मिक पाठ होता है। भूतकाल का उपयोग आवश्यक रूप से यह संकेत नहीं देता है कि यह केवल पिछले लेन-देन का पाठ है। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि विभाजन पर आवंटित संपत्तियों की केवल एक सूची विभाजन का साधन नहीं है और इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। धारा 17 (1) (बी) में कहा गया है कि एक दस्तावेज जिसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है, उसके द्वारा

अचल संपत्ति में कुछ अधिकार बनाने या घोषित करने के लिए बल, संचालन या संचालन करना। इसलिए, जो पहले ही हो चुका है उसका केवल पाठ किसी भी अधिकार [2021] 11 एस. सी. आर. की घोषणा करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

और इस तरह के दस्तावेज़ को पंजीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए दो प्रस्ताव आने चाहिए: (1) एक विभाजन हो सकता है

मौखिक रूप से प्रभावित; लेकिन यदि इसे बाद में एक रूप में कम कर दिया जाता है

दस्तावेज़ और वह दस्तावेज़ अपने आप में एक विभाजन को प्रभावित करने का इरादा रखता है और सौदे की सभी शर्तों को शामिल करता है, यह आवश्यक होगा

इसे रजिस्टर करें। यदि इसे पंजीकृत नहीं किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 49

रोकें

इसे साक्षय में स्वीकार किया जा रहा है। तथ्य का दूसरा प्रमाण

विभाजन की धारा 91 के कारण स्वीकार्य नहीं होगा

साक्षय अधिनियम, 1872। (2) विभाजन सूचियाँ जो केवल अभिलेख हैं

दलों के बीच एक पूर्व पूर्ण विभाजन, होगा सबूत में स्वीकार किया गया, भले ही वे अपंजीकृत हों, साबित करने के लिए

विभाजन का तथ्य: मुल्ला का पंजीकरण अधिनियम, 8वीं संस्करण देखें। , पीपी। 54-57 . "

(जोर दिया गया)

इसके बाद, न्यायालय ने उक्त दस्तावेज़ के उपयोग को भी मंजूरी दे दी

संपार्श्विक लेन-देन के लिए और निम्नानुसार देखा गया:

" 11. अन्यथा भी, दस्तावेज़ Exh। पी 12 पर गौर किया जा सकता है

धारा 49 के प्रावधान के तहत जो दस्तावेजों की अनुमति देता है जो

अन्यथा बाहर रखा जाएगा, 'किसी भी के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा

परिषद ने उपहार के एक अपंजीकृत विलेख की अनुमति दी जिसके लिए आवश्यक था पंजीकरण, जिसका उपयोग उपहार साबित करने के लिए नहीं किया जाएगा 'क्योंकि कोई कानूनी शीर्षक नहीं है

पारित 'लेकिन यह साबित करने के लिए कि दान करने वाली ने उसके बाद अपने आप में आयोजित किया

सही है। हमें ऐसा कोई कारण नहीं मिलता कि वही नियम क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।

वर्तमान जैसे मामले में लागू होता है।
32. एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड बनाम चांदमारी टी कंपनी। निजी

Ltd.[14], सवाल उठा कि क्या एक मध्यस्थता समझौता में निहित है

अनिवार्य रूप से पंजीकृत दस्तावेज, जो पंजीकृत नहीं था, का उपयोग संपार्श्विक लेनदेन, अर्थात् मध्यस्थता के प्रावधान को साबित करने के लिए किया जा सकता है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 11. धारा 49 यह स्पष्ट करती है कि एक दस्तावेज जो है -

अनिवार्य रूप से पंजीकृत, यदि पंजीकृत नहीं है, तो प्रभावित नहीं होगा उसमें किसी भी तरह से निहित अचल संपत्ति। यह भी होगा।

1 4 (2011) 14 एस. सी. सी. 66 कोरकोंडा चलपति राव बनाम। कोरकोंडनपुर्ना संपथ कुमार [के. एम. जोसेफ, जे.]

दो सीमित उद्देश्यों को छोड़कर संपत्ति। पहला सबूत के रूप में है विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक सूट में एक अनुबंध। दूसरा सबूत के रूप में है

किसी भी संपार्श्विक लेन-देन का जो अपने आप में आवश्यक नहीं है

पंजीकृत साधन द्वारा प्रभावित। एक संपार्श्विक लेनदेन नहीं है

अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाला लेनदेन, लेकिन एक लेनदेन

यह है कि क्या एक अपंजीकृत दस्तावेज़ में मध्यस्थता का प्रावधान है (जो अनिवार्य रूप से पंजीकृत है) एक संपार्श्विक लेनदेन है,

जिसके संबंध में ऐसा अपंजीकृत दस्तावेज प्राप्त किया जा सकता है

पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान के तहत साक्षय।

16. मध्यस्थता समझौते के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

पंजीकरण अधिनियम। भले ही यह एक खंड में से एक के रूप में पाया जाता है

अनुबंध या साधन, यह संदर्भित करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता है

मध्यस्थता के लिए विवाद, जो मुख्य अनुबंध से स्वतंत्र है

या यंत्र। अतः धारा के परंतुक को ध्यान में रखते हुए

49 अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के साथ पठित पंजीकरण अधिनियम,

एक अपंजीकृत लेकिन अनिवार्य रूप से एक मध्यस्थता समझौता

पंजीकृत दस्तावेज़ पर कार्रवाई की जा सकती है और इसके लिए लागू किया जा सकता है

मध्यस्थता द्वारा विवाद समाधान का उद्देश्य।"

(जोर दिया गया)

33. अगर हम इस परीक्षण को लागू करते हैं कि क्या इसमें खरारुनामा है

मामला अपने आप में 'प्रभावित' करता है, यानी, स्वयं ही विचाराधीन अचल संपत्तियों में अधिकारों का निर्माण, घोषणा, सीमा या उन्मूलन करता है या क्या यह केवल उस बात को संदर्भित करता है जो अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि पिछले लेनदेन थे जो पक्षों द्वारा किए गए थे, फिर, दस्तावेज़ में उपयोग किए गए शब्दों को देखते हुए, वे इंगित करते हैं कि शब्दों का उद्देश्य उन व्यवस्थाओं को संदर्भित करना है जो कथित रूप से पार्टियों ने अतीत में की थीं। दस्तावेज़

यह अपने आप में संपत्तियों में अधिकार बनाने, घोषित करने, निर्दिष्ट करने, समाप्त करने या सीमित करने के लिए अभिप्रेत नहीं है। इस प्रकार, खरारुनामा पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 (1) (ए) को आकर्षित नहीं कर सकता है।

34. जहां तक पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 (1) (सी) का संबंध है,

के माध्यम से अचल संपत्ति में अधिकारों पर कोई प्रभाव उत्पन्न करें सृजन, घोषणा, समनुदेशन, सीमित करना या समाप्त करना।

[मुरुगा मुदल्लर (ऊपर) देखें]। इस प्रकार, लेन-देन या पिछले लेन-देन को लेन-देन के प्रमाण के रूप में खरारुनामा का उपयोग करके साबित नहीं किया जा सकता है। अर्थात्, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, केवल कथित पिछले लेन-देन के रिकॉर्ड वाले खरारुनामा को स्वीकार करना, हालांकि, इस अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए कि यदि उन पिछले लेन-देनों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता है, तो केवल प्रवेश, के प्रमाण में खरारुनामा और रसीद से अचल संपत्तियों पर कोई भी कानूनी प्रभाव पड़ेगा।

35. जहाँ तक स्टाम्प शुल्क की बात है, प्रकृति के संबंध में हमारे निष्कर्ष पर

लेन-देन पर मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। हम मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ inA.C के निम्नलिखित निष्कर्ष पर ध्यान देते हैं। लक्ष्मीपति और अन्य बनाम। ए. एम. चक्रपाणि रेड्डी और अन्य 1 5:

" 42. कानूनी स्थिति को सारांशित करने के लिए

XXX

XXX

XXX

(V) तथापि, ज्ञापन की प्रकृति का एक दस्तावेज,

एक पारिवारिक व्यवस्था का प्रमाण देना जो पहले से ही हो चुकी थी और थी

जिस पर सहमति हुई थी, उसके अभिलेख के रूप में तैयार किया गया था

ताकि भविष्य में कोई धुंधली धारणा न हो, इस पर मुहर लगाने की आवश्यकता न हो

या पंजीकृत "। 36. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब कोई विभाजन हुआ है, तो हो सकता है

पूर्ववर्ती अधिकार की अवधारणा को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है, जो है संयुक्त परिवार की स्थिति में व्यवधान के बाद असंगत और इससे भी अधिक क्या है एक स्पष्ट विभाजन। इस संबंध में,

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं ने, निश्चित रूप से, अपनी संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों का विभाजन किया। यह खारारुनामा से स्पष्ट है जिसमें यह है

15 ए. आई. आर. 2001 मद्रास 135 हालापथी राव बनाम।

कोरकोंडा अन्नापुर्ना

एम. पथ कुमार [के. एम. जोसेफ, जे.] ई ने संयुक्त परिवार की संपत्तियों को विभाजित किया। खारारुनामा में निहित संपत्तियाँ, अलग हो गईं

तेजतर्रार।

अर्थात्, अपील की अनुमति है। विवादित निर्णय वह इस निर्णय में निहित अवलोकन करता है। थर

लागतों के लिए।

अपील करने की अनुमति है।